भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 630

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

स्वतंत्रता सेनानियों की पारिवारिक पेंशन में संशोधन

630. श्री नीरज शेखर :
श्री अरविन्द कुमार सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने हाल ही में वर्ष 2015 में स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन एवं बढ़ोतरी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार भी स्वतंत्रता सेनानियों की वृद्धावस्था, मंहगाई तथा चिकित्सा सुविधा के अंतर्गत उन्हें न शामिल किए जाने के मद्देनजर उनकी तथा उनके आश्रितों की पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन में संशोधन तथा बढ़ोतरी करेगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) : केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना एक विशिष्ट योजना है और यह राज्य सरकारों की स्वतंत्रता सेनानी योजनाओं से जुड़ी हुई नहीं है । संबंधित राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना में की जाने वाली कोई भी वृद्धि/संशोधन स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना से अलग होता है ।

(ख) से (घ) : केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगियों की मूल पेंशन वर्ष 2006 में संशोधित की गई थी । मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगी मंहगाई राहत प्राप्त करते हैं, जो प्रत्येक वर्ष अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई बारह माह की औसत वृद्धि के आधार पर संशोधित की जाती है । केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशनभोगी अथवा उनकी विधवा/विधुर को प्रति माह 20129/- रु. प्राप्त होते हैं । पति/पत्नी की मृत्यु के पश्चात, उनकी तीन पात्र अविवाहित पुत्रियों में से प्रत्येक को प्रति माह 4770/- रु. मिलते हैं । पेंशन के अतिरिक्त, केन्द्रीय सम्मान पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधाएं, रेल यात्रा, टेलिफोन आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं ।

****